वित्तीय स्वीकृति

संख्या –5753/9–1–2013–39 मेला/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
फैजाबाद।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 01 नवम्बर/अक्टूबर, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में अयोध्या जनपद फैजाबाद में आयोजित श्रावण झूला मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–706/मे.लि./बजट/वित्तीय वर्ष 2013–14 दिनांक–27.09.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या जनपद फैजाबाद में आयोजित श्रावण झूला मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, 2013 एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान हेतु कुल धनराशि ₹–69,40,000/– (₹ उनहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹–69,40,000/– की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धो के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा तथा बिलों की सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2053–जिला प्रशासन–094–अन्य

AYG

स्थापनायें–05–स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एंव प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–8–3977/दस–13, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–5753 (1)/9–1–2013, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, फैजाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
5. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

AYG